बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प

पटना, दिनांकः–

संख्या–2 / कोर्ट0–30–11 / 2015गृ0आ0 .... / श्री राजकिशोर सिंह, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, बाढ़ सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), शेखपुरा के विरुद्ध पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्र सं0 250, दिनांक 11.01.2016 द्वारा प्राप्त आरोप प्रपत्र "क" में प्रतिवेदित किया गया कि जब श्री सिंह अनुमंडल, पुलिस पदाधिकारी बाढ़, जिला–पटना के पद पर कार्यरत थे तब बिहार मानवाधिकार आयोग के पत्रांक 3088 / 13–11510 दिनांक 13.09.2013 के माध्यम से श्री सुरेन्द्र प्रसाद पे0–स्व0 राम चन्द्र साव से प्राप्त परिवाद पत्र में आरोप लगाया गया था कि वे बाढ़ स्थित दाल मील को गलत ढंग से सील कर दिए थे।

2. उक्त आरोप के संबंध में विभागीय ज्ञापन 1524, दिनांक 25.02.2016 द्वारा श्री सिंह को निदेशित किया गया कि वे अपना बचाव अभिकथन प्रस्तुत करें।

3. श्री सिंह द्वारा प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन को समीक्षोपरांत अस्वीकृत करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार ने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली) 2005 के नियम 17 (2) के तहत श्री राज किशोर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया है।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियमावली) 2005 के अधीन श्री राज किशोर सिंह पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) शेखपुरा के विरुद्ध गठित विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु श्री ए0के0 अम्बेदकर, पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है एवं 17 (ग) के तहत प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी मनोनीत करने हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को अपने स्तर से प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

श्री सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे विभागीय कार्यवाही के संचालन में संचालन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में इस संकल्प की प्राप्ति की तिथि से दस कार्यदिवस के अंदर या संचालन पदाधिकारी द्वारा निदेशित समय पर स्वयं उपस्थित हो।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक–एक प्रति पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना, / पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण–सह–~~प्रशिक्षण–सह~~– संचालन पदाधिकारी, बिहार, पटना / श्री राज किशोर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0 / –
(देव नारायण मंडल)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–2 / कोर्ट0–30–11 / 2015गृ0आ0 .... /   पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना / श्री ए0के0 अम्बेदकर पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण)–सह–संचालन पदाधिकारी, बिहार, पटना को आरोप प्रपत्र "क" एवं साक्ष्य सहित / श्री राज किशोर सिंह तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, बाढ़ सम्प्रति शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) से अनुरोध है कि वे विभागीय कार्यवाही का संचालन तुरंत आरंभ कर, तीन प्रतियों में जाँच प्रतिवेदन की प्रति विभाग को समर्पित करने की कृपा करे।

ह0 / –

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–2 / कोर्ट0–30–11 / 2015गृ0आ0 .... /   पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना / श्री राजकिशोर सिंह, पुलिस उपाधीक्षक (मु0), शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

पुलिस महानिदेशक से अनुरोध है कि इस संकल्प की एक प्रति अपने स्तर से श्री सिंह पुलिस उपाधीक्षक को उपलब्ध कराने की कृपा करेगें।

ह0 / –

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–2 / कोर्ट0–30–11 / 2015गृ0आ0 5753 /   पटना, दिनांकः– 15/8/16

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/8/16

सरकार के संयुक्त सचिव